

फर्द अहकाम

2020/00156

राज्यक उत्तरवर्त कौलीलिय

न्यायालय

नराम

बनाम

कडीनारायण

मुकदमा संख्या / वर्ष

69 / 20 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		दिनांक 27/4/21 को कोविड 19 प्रभावित होने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हुई।	
	13/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 3/8/21 को पेश हो।	
	30/8/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली कोरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 9/9/21 को पेश हो।	
	9/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 28/9/21 को पेश हो।	
	28/9/21	राजस्थान के न्यायालय दिनांक 28/9/21 को पत्रावली पेश हुई।	
	1/12/2021	पत्रावली अग्रिम प्रशासन गवर्नर संगठन अधिसूचना 2021 के तहत केम 2/2021-अग्रिम अधिसूचना (अग्रिम अधिसूचना) के तहत पेश हुई।	

किरादा

करेक्टिव

2020/00156

सहायक कलेक्टर बस्ती जिला कायपुर

69/20

नारायण बनाम कर्चौरिया

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि.
		<p>सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा कर्चौरिया के द्वारा कि गेई। इस प्रावना पर वाकित अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल वादवाकित एथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान कानूनकारी अधिनियम का उभयपक्षों को सधमरि / सधमरि पर प्रलट्ट किमि जाने के आखर पर वाद पर का निस्तारण किमि जा चुका है। आता मूल वाद के निस्तारण हो जाने से अब मूल प्रावली को अगि पलने का कोई औचित्य नही रहे जाता है। आता इस प्रावली को रवा रिज किमि जाता है। प्रावली को मूल ड्रुमाट होकर 6मि नम्बर से कम होने पर पा खिल पजतर है। निर्णय आज दिनांक 1/12/2021 को प्रशासन गीलों के संग अधिमान 2021 के तहत केम श्यामपुरा कर्चौरिया एवं मजमे आम से से सुमावाया।</p>	

BG

सहायक कलेक्टर बस्ती जिला कायपुर